न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 122/2023

जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/449

1. भीयांराम पुत्र सादुलाराम जाति मेघवाल निवासी 1 टीके तहसील रायसिंहनगर हाल निवासी मेघवालों की ढाणी बेरडो का बास तहसील ओसिया जिला जोधपुर

1/1. सुखी पत्नी भीयांराम
1/2. चैनाराम पुत्र भीयांराम
1/3. कैलाश पुत्र भीयांराम
} निवासीगण मेघवालों की ढाणी बेरडो का बास तहसील ओसिया जिला जोधपुर

1/4. मुनीदेवी पत्नी बलाराम पुत्री भीयांराम निवासी मेघवालों की ढाणी दासनिया तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर

1/5. धापूदेवी पत्नी नैनाराम पुत्री भीयांराम निवासी जाटा मेघवालों का बास जारीसरा तहसील खीचन जिला जोधपुर

1/6. रमकु पत्नी सुखराम पुत्री भीयांराम निवासी पेतवाल नाडी नरसिंह कालोनी तहसील मण्डोर जिला जोधपुर

1/7. आसूदेवी पत्नी पुराराम पुत्री भीयांराम निवासी किरमसरिया खुर्द तहसील तिवरी जिला जोधपुर

1/8. शारदा पत्नी रेवन्तराम निवासी जाटा मेघवालों का बास तहसील खींचन जिला जोधपुर

—अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार
2. ओमप्रकाश पुत्र लेखराम जाति मेघवाल निवासी अमरगढ़ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राज.

—प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—

1. श्री श्री इन्द्राज कस्वां, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. राजपैरोकार एवं उपतहसीलदार समेजा कोठी, प्रत्यर्थी सं. 1
3. श्री प्रेमचन्द अतरी, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 2

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 18/7/2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि—

1. अपील प्रकरण पूर्ववर्ती न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर (प्र.सं. 92/22) से क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज किया गया। अपीलार्थी भीयांराम के द्वारा यह अपील मय प्रा. पत्र धारा 5 मियाद अधि. व 96 सीपीसी उपतहसीलदार मुकलावा के आदेश दिनांक 22.06.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं जिसके द्वारा अपीलाधीन भूमि चक मुकलावा बारानी के मु.नं. 90 की 3.795है. भूमि का बैयनामा के आधार पर इन्तकाल सं. 666 स्वीकृत किया गया है के विरूद्ध पेश की गयी हैं।
2. अपील दर्ज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश संबंधित अभिलेख तलब किया गया। अपील के न्यायालय के समक्ष लम्बित रहने के दौरान अपीलार्थी की मृत्यु हो जाने के कारण उनके वारिसान को रिकार्ड पर प्रतिस्थापित किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की अपील मय प्रार्थना पत्रों पर बहस सुनी गयी।
3. अपीलार्थी अधिवक्ता अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश से अपीलार्थी प्रभावित पक्षकार हैं इसलिए प्रा. पत्र 96 सीपीसी स्वीकार कर अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने हेतु निवेदन किया। अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 04.07.2022 को हुआ इल्म की रोज से अपील अन्दर मियाद पेश की गयी हैं इसलिए प्रा.पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद ग्रहण करने हेतु निवेदन किया। अपीलार्थी अधिवक्ता निवेदन किया कि प्रत्यर्थी सं. 2 ओमप्रकाश द्वारा अपने हितबद्ध व्यक्तियों के साथ मिलीभगत कर अपीलार्थी की खातेदारी भूमि का कूटरचित बैयनामा तैयार करवा लिया जिसके सबंध में अपीलार्थी को ज्ञान होने पर भीयांराम के द्वारा सिविल न्यायालय रायसिंहनगर में वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रा. पत्र दायर किया गया तथा न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार दिनांक 27.08.2021 को आदेश पारित कर प्रश्नगत भूमि के मूल वाद के निर्णय तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाएं रखने के आदेश पारित किये हैं। वाद पत्र आज भी विचाराधीन हैं। प्रत्यर्थी ओमप्रकाश को सिविल न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण का पूर्ण ज्ञान होने के बावजूद भी उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय से स्थगन आदेश के प्रभावी होने के बावजूद तथाकथित बैयनामा के आधार पर अपने नाम से भूमि का नामान्तरण दर्ज करवा लिया जो कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.06.2022 को स्वीकृत किया गया। अलौच्य आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज किये जाने योग्य हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व राजस्व अभिलेख व दस्तावेजों का पूर्ण अवलोकन नहीं किया। स्थगन आदेश के दौरान आलौच्य आदेश पारित किया गया हैं जो कि खारिज किये जाने योग्य हैं। आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.06.2022 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

4. अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 1 अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत हैं। अपील बाहर मियाद होने के कारण खारिज करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 2 अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थी भीयांराम के द्वारा भूमि प्रत्यर्थी को विक्रय की थी, भूमि पर कब्जा भी प्रत्यर्थी का है, बैयनामा की रोज से भूमि पर समस्त अधिकार प्रत्यर्थी को प्राप्त हो चुके हैं अपीलार्थी के भूमि पर कोई अधिकार शेष नहीं रह गये हैं। बैयनामा के आधार पर इंतकाल किये जाने पर स्थगन आदेश प्रभावी नहीं था। अपीलाधीन आदेश विधि अनुसार हैं। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी हैं। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी के संबंध में अपीलार्थी के द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। देरी को माफ किये जाने का कोई अधिकार नहीं हैं। भूमि अपीलार्थी भीयांराम द्वारा विक्रय कर दिये जाने से अपीलार्थी के भूमि पर कोई अधिकार शेष नहीं रहने के कारण अपीलार्थी प्रभावित पक्षकार नहीं हैं। अपील मय प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

5. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल नामान्तरण प्रति का अवलोकन किया। नामान्तरण सं. 666 बैयनामा आधार पर दर्ज कर अपीलाधीन भूमि अपीलार्थी भीयांराम से प्रत्यर्थी ओमप्रकाश के नाम से दर्ज की गयी हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरण दिनांक 22.06.2022 को स्वीकृत किया गया हैं। अपीलार्थी के कथनानुसार उनके द्वारा उक्त दस्तावेज बैयनामा को सिविल न्यायालय में चुनौति दी गयी हैं। अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज छायाप्रति निर्णय मा. न्यायालय सिविल न्यायाधीश रायसिंहनगर प्र.सं. 70/2021 भीयांराम बनाम ओमप्रकाश निर्णय दिनांक 27.08.2021 के अनुसार मा. न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति तीनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में तय करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर अप्रार्थी को आदेश दिया कि चक मुकलावा बारानी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 90 प.नं. 162/316 के कि.नं. 1 ता 15 सालम–सालम कुल 3.795है. बारानी अन्य व्यक्ति को अन्तरित, रहन, बेचान करने से निषेद्ध रहे व मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

6. अतः मा. सिविल न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 27.08.2021 को अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने की जारी की गयी थी। प्रत्यर्थी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया हैं जिस अनुसार उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गयी हो। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 22.06.2022 को पारित किया गया हैं जो कि स्थगन आदेश के प्रभावी होने के दौरान जारी किया गया हैं तथा जिस बैयनामा के आधार पर नामान्तरण दर्ज किया गया है उसे अपीलार्थी भीयांराम द्वारा मा. सिविल न्यायालय के समक्ष चुनौति दी जा चुकी हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

7. ऐसे में अधिनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वे नामान्तरण दर्ज करने से पूर्व रिकार्ड की पूर्ण जांच करते। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश के दौरान नामान्तरण स्वीकृत किया गया हैं। जो कि खारिज किये जाने योग्य हैं। चूंकि अपीलार्थी भीयांराम के द्वारा बैयनामा को चुनौति दी गयी हैं इसलिए वे प्रकरण से प्रभावित पक्षकार हैं तथा प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरण पारित करने में भूल की हैं। इस कारण अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाना उचित हैं।
8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी व धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर मियाद ग्रहण की जाती हैं। तथा अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार मुकलावा का अपीलाधीन आदेश नामान्तरण 666 दिनांक 22.06.2022 को निरस्त किया जाता हैं। अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार मुकलावा द्वारा प्रेषित मूल नामान्तरण की प्रति मय न्यायालय निर्णय की प्रति लौटाई जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 18/7/2024 **को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर
अनूपगढ़
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़.

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)